



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 40] नई दिल्ली, सितम्बर 29— अक्टूबर 5, 2019, शनिवार/आश्विन 7—आश्विन 13, 1941
No. 40] NEW DELHI, SEPTEMBER 29— OCTOBER 5, 2019, SATURDAY/ASVINA 7— ASVINA 13, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2019

सा.का.नि.320.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संघ लोक सेवा आयोग (वित्त और बजट अधिकारी) भर्ती नियम, 1990 को उन बातों के सिवाए अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में वित्त और बजट अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग (वित्त और बजट अधिकारी) समूह "क" पद, भर्ती नियम, 2019 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वित्त और बजट अधिकारी	01* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर-11	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली, रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा

प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
11	12	13
<p>प्रतिनियुक्ति / आमेलन : निम्नलिखित संगठित लेखा सेवाएं या विभाग से अधिकारी :</p> <p>(i) भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा;</p> <p>(ii) भारतीय सिविल लेखा सेवा;</p> <p>(iii) भारतीय लागत लेखा सेवा;</p> <p>(iv) भारतीय रक्षा लेखा सेवा;</p> <p>(v) डाक और तार लेखा और वित्त सेवा;</p> <p>(vi) भारतीय रेल लेखा सेवा;</p> <p>(vii) रक्षा मंत्रालय के अधीन महानियंत्रक रक्षा लेखा;</p> <p>(viii) वित्त मंत्रालय के अधीन महानियंत्रक लेखा;</p> <p>(ix) डाक और दूरसंचार विभाग के लेखा और वित्त खंड के अधीन अधिकारी;</p> <p>(x) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अधीन भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग; या</p> <p>(xi) केन्द्रीय सरकार की किसी अन्य समतुल्य लेखा सेवा;</p> <p>जिसने:</p> <p>(क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करता हो; या</p> <p>(ख) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-9 या स्तर-10 या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की हो; या</p> <p>(ग) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 या समतुल्य में नियमित आधार पर इसके नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो।</p> <p>टिप्पणी 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी</p> <p>टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>आमेलन</p> <p>टिप्पणी 3: केवल केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकारी आमेलन के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा।</p>	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा सं. 39021/05/2018 -स्था.(बी.)]

राजबीर सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**(Department of Personnel and Training)**

New Delhi, the 24th September, 2019

G.S.R.320.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of Union Public Service Commission, (Finance and Budget Officer) Group - A post Recruitment Rules, 1990, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Finance and Budget Officer in the office of Union Public Service Commission, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Union Public Service Commission (Finance and Budget Officer) Group 'A' post, Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of post, its classification, level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post: provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age - limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection or non-selection post	Age - limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Finance and Budget Officer	01* (2019) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Level-11	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation/absorption

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p>Deputation/ absorption: Officers from the following organised accounts services or department, namely:-</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Indian Audit and Accounts Service; (ii) Indian Civil Accounts Service; (iii) Indian Cost Accounts Service; (iv) Indian Defence Accounts Service; (v) Post and Telegraph Accounts and Finance Service; (vi) Indian Railway Accounts Service; (vii) Controller General of Defence Accounts under Ministry of Defence; (viii) Controller General of Accounts under Ministry of Finance; (ix) officers under Accounts and Finance Wings of Department of Posts and Telecommunications; (x) the Indian Audit and Accounts Department under the Comptroller and Auditor General; or (xi) any other equivalent Accounts Service of the Central Government. <p>(a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(b) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in level 10 or level 9 of pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(c) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the level 8 of pay matrix or equivalent in the parent cadre or department.</p> <p>Note 1: The period of deputation including period of deputation to another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Absorption</p> <p>Note 3: Officers of Central Government or State Governments or Union territory Administrations shall only be eligible to be considered for appointment on absorption basis.</p>	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. 39021/05/2018-Estt.(B)]

RAJBIR SINGH, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2019

सा.का.नि.321.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1979 को, जहाँ तक उनका